

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

अधिसूचना

क्रमांक C/4808
तीन-6-2/2016

जबलपुर, दिनांक 7 / 12 / 2016

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक 2 में वर्णित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक 3 में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है।

सारणी

क्र.0	न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	पदस्थापना का स्थान	राजस्व जिला
1	2	3	4
1	श्री रामप्रसाद सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	देवरार	सिंगरौली
2	श्रीमती मंजू सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	शाजापुर	शाजापुर
3	श्री आलोक प्रताप सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	शाजापुर	शाजापुर

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

क्रमांक C/4809
तीन-6-2/2016

(विवेक सक्सेना)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी.ई.)
जबलपुर, दिनांक 7 / 12 / 2016

विषय

- उपनियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, गोपाल-6 को मध्यप्रदेश के राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, विन्ध्यावल भवन, गोपाल को सूचनाथे प्रेषित।
- जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रप्रेषित।
- श्री/श्रीमती एक, को सूचनाथे प्रेषित।
- अनुभाग अधिकारी, गोपनीय, प्रकाश / वेकर शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनाथे अग्रप्रेषित।
- क्रिमिनल/रिविलबकर/कंप्यूटर आपरेटर गोपनीय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को सूचनाथे प्रेषित।
- NIC Computer(Server room) को आदेश नेट में अपलोड करने हेतु अग्रप्रेषित।

(विवेक सक्सेना)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी.ई.)